प्रेस नोट
दिनांक 04.01.2025, थाना को0मनकापुर
जनपद गोण्डा।

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा चोरी करने के 03 शातिर चोर को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के कीमती जेवरात व नगदी बरामद-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित थाना को0मनकापुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 04/2025, धारा 305(A), 331(4), 317(2) बीएनएस से सम्बन्धित प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त- 01. त्रिलोकी चौहान, 02. कैलाश चौहान, 03. विजय राज चौहान को ग्राम परसापुर थनवा जाने वाली अण्डर पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का 01 जोड़ी कान का झाला(पीली धातु), 01 जोड़ी कान की बाली(पीली धातु), 01 जोड़ी कान का टप्स(पीली धातु), 01 नोज पिन (पीली धातु), 03 जोड़ी पायल(सफेद धातु), 04 जोड़ी विछुआ(सफेद धातु) व चोरी का 3000/- रूपये नगद बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 03.01.2025 को श्री अमरेश कुमार तिवारी पुत्र विनोद कुमार तिवारी निवासी ग्राम झलहा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0मनकापुर पुलिस को सूचना दिया गया की दिनाकं मध्य रात्रि में अज्ञात चोरो द्वारा उनके घर में घुसकर घर का ताला तोड़कर रखा कीमती जेवरात, नगदी व अन्य समाग्री चोरी कर लिया गया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मनकापुर में मु0अ0सं0- 04/2025, धारा 305(A), 331(4), 317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतु टीमें लगाई गई था। आज दिनांक 04.01.2025 को थाना को0मनकापुर पुलिस टीम द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त- 01. त्रिलोकी चौहान, 02. कैलाश चौहान, 03. विजय राज चौहान को ग्राम परसापुर थनवा जाने वाली अण्डर पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी का 01 जोड़ी कान का झाला(पीली धातु), 01 जोड़ी कान की बाली(पीली धातु), 01 जोड़ी कान का टप्स(पीली धातु), 01 नोज पिन (पीली धातु), 03 जोड़ी पायल(सफेद धातु), 04 जोड़ी विछुआ(सफेद धातु) व चोरी का 3000/- रूपये नगद बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. त्रिलोकी चौहान पुत्र दयाराम निवासी डल्लापुरवा थाना खैरीघाट जनपद बहराइच।
02. कैलाश चौहान पुत्र संतराम चौहान निवासी नयापुरवा अरनव थाना खैरीघाट जनपद बहराइच।
03. विजय राज चौहान पुत्र ठाकुर निवासी टिकुरी मजरा अरनवा थाना खैरीघाट, जनपद बहराइच।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 04/2025, धारा 305(A), 331(4), 317(2) बीएनएस थाना को0मनकापुर, जनपद-गोंडा।

बरामदगी-

01. 01 जोड़ी कान का झाला(पीली धातु)
02. 01 जोड़ी कान की बाली(पीली धातु)
03. 01 जोड़ी कान का टप्स(पीली धातु)
04. 01 नोज पिन (पीली धातु)
05. 03 जोड़ी पायल(सफेद धातु)
06. 04 जोड़ी विछुआ(सफेद धातु)
07. चोरी का 3000/- रूपये नगद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. व0उ0नि0 प्रबोध कुमार
02. उ0नि0 सुरेश यादव
03. हे0का0 रवीश कुमार
04. हे0का0 सुरेश गुप्ता
05. का0 रवि सिंह

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 04.01.2025, संपूर्ण समाधान दिवस
जनपद गोण्डा।

पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सदर में जनसमस्याओं को सुना गया एवं उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया-

ऑपरेशन "साइबर कवच" के दृष्टिगत राजस्व व अन्य विभाग के अधि0/कर्मचारियों व उपस्थित जनता को साइबर अपराध से बचाव हेतु किया गया जागरूक-

आज दिनांक 04.01.2025 को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में तहसील सदर गोण्डा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती नेहा शर्मा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान अधिकारीगणों द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवक्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिकारीगणों द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के दिशा-निर्देशों से अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को अवगत कराते हुये प्रार्थना-पत्रों की समयबद्ध जांच, कार्यवाही एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात् पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र गोण्डा श्री अमित पाठक, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर ऑपरेशन "साइबर कवच'' अभियान के तहत राजस्व व अन्य विभाग व उपस्थित जनता को साइबर अपराध की जानकारी दी गयी और बताया कि इंटरनेट के उपयोग की सही जानकारी होने पर साइबर अपराध से बचा जा सकता है । इसी क्रम में ATM में ट्रांजेक्सन करते समय अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित न रहे, बैंक के नाम पर टेलीफोन कॉल पर एटीएम/बैंक अकाउंट्स सम्बन्धी कोई जानकारी जैसे OTP, CVV नम्बर आदि कभी भी किसी से साझा न करे। बीमा कम्पनी, नौकरी.कॉम के नाम से कॉल किये जाने पर बिना सत्यापन किये कोई जानकारी न दे। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे व्हाट्सअप, ट्विटर(X), फेसबुक व इंस्टाग्राम पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक न करें क्योंकि कोई भी व्यक्ति आसानी से आपकी जानकारी का इस्तेमाल कर दुरूपयोग कर सकता है। इस प्रकार के एप्स डाउनलोड किये जाते समय प्राईवेसी सम्बन्धी आप्शन का भली-भांति अवलोकन करने के बाद ही सहमती/असहमती देते हुए प्रक्रिया पूर्ण करें। फर्जी लॉटरी लगने का कॉल करने वालों को कभी अपनी बैंक की डिटेल शेयर न करें। डिजिटल अरेस्ट से बचाव हेतु बताया गया कि किसी भी अनजान कॉल/मैसेज पर प्रतिक्रिया न दें, टावर लगाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती है, इससे बचने हेतु किसी अज्ञात बैंक खाता में पैसा जमा न करें। कोई कम्पनी कम लागत में अधिक पैसे कमाने का लालच देती है तो सावधान रहिये ऐसी कंपनी फर्जी होती हैं जो आपका पैसा लेकर कंपनी को बंद कर भाग जाते हैं। ठगों द्वारा फर्जी ऑफिस खोलकर, कम ब्याज दर पर अधिक लोन, बिना किसी कागज के आसानी से लोन दिलवाने हेतु फर्जी विज्ञापन प्रसारित किया जाता है और प्रोसेसिंग फीस के रुप में एकाउंट में रुपये जमा कराके फरार हो जाते है। मोबाइल व सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स के सुरक्षित प्रयोग के बारे में भी बताया गया। छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर इंटरनेट प्रयोग किये जाने पर साइबर अपराध के शिकार होने से बचा जा सकता है। जागरूक बनें और अपने धन की स्वयं सुरक्षा करने के सिद्वान्त पर काम करें। अन्त में सभी से आग्रह किया गया की दी गई जानकारी को अपने परिवार, आस-पड़ोस में

अधिक से अधिक लोगों को बतायें जिससे की कोई भी व्यक्ति जानकारी के आभाव में साइबर अपराधियों का शिकार न हो। जागरूकता के दौरान में उपस्थित आमजन को पम्पलेट वितरित किये गये ।

साइबर सुरक्षा टिप्स-

01. ऑनलाइन लेन-देन में सावधानी बरतें

02. किसी भी अनजान फोन कॉल पर अपनी बैंक डिटेल, ओटीपी, बायोमैट्रिक डेटा, पैन कार्ड व आधार कार्ड की डिटेल किसी के साथ साझा न करें।

03. सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करें।

04. अनजान लिंक्स पर क्लिक न करें।

05. अपने डिवाइस को सुरक्षित रखें।

06. ऑनलाइन शॉपिंग में सुरक्षित वेबसाइट्स का उपयोग करें।

07. पासवर्ड को मजबूत और गुप्त रखें।

08. ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी रखें।

09. साइबर बुलिंग और साईबर स्टॉकिंग के मामलों में तुरंत पुलिस को सूचित करें।

10. ऑनलाइन उत्पीड़न के मामलों में कंपनी प्रबंधन और पुलिस को सूचित करें।

11. साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने के लिए हेल्प लाइन नम्बर 1930 का प्रयोग करें।

इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी सदर श्री आनन्द कुमार राय, प्र0नि0 को0नगर सहित राजस्व व पुलिस के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 04.01.2025
#वाहन चेकिंग
पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद के समस्त थानों पर चलाया गया विशेष वाहन चेकिंग अभियान-

ट्रिपलिंग, बिना नम्बर प्लेट के वाहन, हाई स्पीड बाइक, मुँह पर ढांटा/गमछा, मास्क आदि पहने बाइक पर सवार नए उम्र के लड़को को चेकिंग के दिये गए निर्देश-

आज दिनांक 04.01.2025 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष व चौकी प्रभारियों के द्वारा अपने-अपने थाना/चौकी क्षेत्र में शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत जनपद गोण्डा में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु बैंक, पेट्रोल पम्प, सर्राफा बाजार की ओर आने- जाने वाले रास्तो पर जगह बदल- बदल कर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें नये उम्र के मोटरसाइकिल पर ट्रिपलिंग किये हुए लड़के, बिना नम्बर प्लेट की गाड़ी, बिना हेलमेट व सीटबेल्ट, मुँह पर गमछा/मास्क आदि पहने बाइक पर सवार संदिग्धों की चेकिंग की गयी तथा यातायात नियमों का उलंघन करने जैसे - बिना हेलमेट/सीटबेल्ट के गाड़ी चलाना, निर्धारित गति सीमा से अधिक तेज गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना, नशे में गाड़ी चलाने आदि नियमो का उलंघन करने वालो का चालन किया गया।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 04.01.2025, थाना को0मनकापुर

जनपद गोण्डा।

थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा अवैध देशी तमंचा के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान 01 अदद अवैध देशी तमंचा के साथ अभियुक्त सैफ अली उर्फ बुप पुत्र नवाब अली निवासी घेर नज्जू खॉ थाना कोतवाली जनपद रामपुर को पीलखाना से आईटीआई जाने वाले मार्ग मनवर पुल के पास से गिरफ्तार कर कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0मनकापुर में मु0अ0स0- 05/2025, धारा 3/25 आर्मस एक्ट पंजीकृत किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 04.01.2025 को थाना को0मनकापुर के उ0नि0 रामअशीष मौर्या मय फोर्स रात्रि गस्त व शांति व्यवस्था हेतु क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि पीलखाना से आईटीआई जाने वाले मार्ग मनवर पुल के पास संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। तलाशी की गयी तो उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर अभियुक्त सैफ अली उर्फ बुप पुत्र नवाब अली निवासी घेर नज्जू खॉ थाना कोतवाली जनपद रामपुर को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना को0मनकापुर में मु0अ0स0- 05/2025, धारा 3/25 आर्मस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0मनकापुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. सैफ अली उर्फ बुप पुत्र नवाब अली निवासी घेर नज्जू खॉ थाना कोतवाली जनपद रामपुर ।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 05/2025, धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना को0मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 01 अदद देशी तमंचा मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 श्री रामअशीष मौर्या

02. हे0का0 अमर सिंह

03. का0 हरिपाल

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 04.01.2025, थाना कोतवाली कर्नलगंज

जनपद गोण्डा।

थाना को0कर्नलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत धोखाधड़ी करके जमीन की फर्जी बैनामा कराने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0-483/2022, धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 01. परागदत्त पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम डेमाकल्पी थाना को0देहात गोण्डा को डोमाकल्पी प्राइमरी स्कूल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना को0कर्नलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत वादिनी द्वारा थाना कोतावली कर्नलगंज को सूचना दी की वह तीर्थ स्थान बद्रीनरायण गयी थी तथा वादिनी के पति जो मंदबुद्धि के है घर पर थे। उसी दौरान विपक्षीगण द्वारा धोखाधड़ी करके वादिनी के पति से फर्जी बैनाम करा लिया है। तहरीर के आधार थाना को0कर्नलगंज पर मु0अ0सं0-483/2022, धारा 419, 420 भादवि बनाम प्रयागदत्त आदि 06 नफर अभियुक्तों के अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दिनांक 04.01.2025 को थाना कोतवाली कर्नलगंज पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त 01. परागदत्त पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम डेमाकल्पी थाना को0देहात गोण्डा को डोमाकल्पी प्राइमरी स्कूल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. परागदत्त पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम डेमाकल्पी थाना को0देहात गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-483/2022, धारा 420, 467, 468, 471, 120बी भादवि थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम-</u>

01. उ0नि0 नागेश्वर नाथ पटेल

02. हे0का0 विजय कुमार

03. हे0का0 अशोक कुमार यादव

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>

प्रेस नोट

दिनांक 04.01.2025, थाना को0कर्नलगंज

जनपद गोण्डा।

थाना को0कर्नलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत कूटरचित व धोखाधड़ी करके जमीन की फर्जी बैनामा कराने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज में पंजीकृत मु0अ0सं0-538/2022, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 01. शंकर बक्श पुत्र परसराम निवासी हीरापुर कमियार, थाना को0कर्नलगंज गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री शिव जी गोस्वामी पुत्र देवी शंकर गोस्वामी निवासी भितिहा मौजा टिकवार थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 कर्नलगंज को सूचना दिया की विपक्षीगण द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करके जमीन का फर्जी बैनामा करा दिया था। तहरीर के आधार थाना को0कर्नलगंज पर मु0अ0सं0-538/2022, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि बनाम शकंर बक्श आदि 03 नफर अभियुक्तों के अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियुक्त गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार चल रहा था आज दिनांक 04.01.2025 को थाना कोतवाली कर्नलगंज पुलिस द्वारा नामजद अभियुक्त 01. शंकर बक्श पुत्र परसराम निवासी हीरापुर कमियार, थाना को0कर्नलगंज गोण्डा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. शंकर बक्श पुत्र परसराम निवासी हीरापुर कमियार, थाना को0कर्नलगंज गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-538/2022, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506 भादवि थाना को0 कर्नलगंज गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0सुनील कुमार

उ0नि0 अभिनव भरत सिंह
उ0नि0 उत्कर्ष नवीन सिंह
हे0का0 अख्तर अली

<u>मीडिया सेल, गोण्डा।</u>